(143) 250 (1)

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल म०प्रदेश ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा म०प्र०

Rs. 20/-

396
22/7/13

R. 3213-III/13

रामखेलावन पिता स्व० शंकर साहू निवासी ग्राम कुअरहा तहसील नईगढ़ी
जिला-रीवा म०प्र० ====== निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री अरुण कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 22.7.13

बनाम

1:- माला पिता स्व० शम्भार

2- रामपत पिता स्व० शम्भार

3- हरदत्त पिता स्व० शम्भार

4- गंगा पिता स्वर्गीय शम्भार

5- लक्ष्मण प्रसाद पिता स्व० शम्भार साहू
सभी निवासी ग्राम कुअरहा तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म०प्र०

6:- रामावतार पिता स्व० शंकर साहू निवासी ग्राम कुअरहा तहसील नईगढ़ी
जिला रीवा म०प्र०, ===== गैरनिगरानीकर्तागण

23.8.13

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार प्रभारी कार्य
तहसील नईगढ़ी जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 5ए-5/11-12
आदेश दिनांक 21.2.12 व 19.7.12
======================================

मान्य

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०.
======================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

01:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

02:- यहकि विवादित आराजी 347/1 क 347/1 ख एवं 348/2 के 1/2 भाग के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण है। निगरानीकर्तागण एवं गैरनिगरानीकर्तागण के मध्य इन्ही भूमियों के नक्शा तर्मीम के संबंध में काफी समय से विवाद चल रहा है जो विवाद माननीय उच्च न्यायालय तक चला है।

क्रमशः2..पर

(143)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण निग03213– III/2013 जिला–रीवा

रामखेलावन साहू/माला प्रसाद साहू वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 5/अ–5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 व 19.07.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	